-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.05.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में थाना गिरवां क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहने वाले व्यक्ति ने दिनांक 20.01.2020 को थाना गिरवां पर सूचना दी कि दिनांक 19.01.2020 की रात्रि अभियुक्त केशव प्रसाद उर्फ छोटनिया नि0 बिगहना द्वारा घर के आँगन में आकर पेशाब करने गई उसकी नाबालिग पुत्री को पास में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। सूचना पर तत्काल थाना गिरवां पर मु0अ0सं0 15/2020 धारा 376(2)(i) भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 21.01.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 26.02.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था। लोक अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी रूबी देवी तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. केशव प्रसाद उर्फ छोटनिया पुत्र फूलचन्द्र नि0 बिगहना थाना गिरवां जनपद बांदा

अभियोग-

- मु0अ0सं0 15/2020 धारा 376(2)(i) भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।